हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2017 को अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

31/03/2017/1100/RKS/AS/1

<u>स्थगित प्रश्न संख्याः 3604</u>

श्री रिखी राम कौंडलः (अनुपस्थित)

31/03/2017/1100/RKS/AS/2

<u>स्थगित प्रश्न संख्याः 3693</u>

श्री नेरन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार सुजानपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में कुल 14 भिन्न-भिन्न स्कीम्ज़ के उद्घाटन हुए हैं, जोकि लिस्ट में दर्शाए गए हैं। इन उद्घाटनों में से एक उद्घाटन हमीरपुर में हुआ है और बाकि 14 उद्घाटन सुजानपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए हैं। इनमें से 4 उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किए हैं और 10 उद्घाटन आपदा प्रबन्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष जी ने किए हैं। आपदा प्रबन्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष वही व्यक्ति हैं जो आज से 4-5 साल पहले वुडविले होटल में कॉल गर्ल्स स्कैंडल के केस में फंसे थे और इसकी इन्क्वायरी भी हुई थी। यह बात आपके मैनिफैस्टो और चार्ज़शीट में भी है कि जो इन्क्वायरी पिछली सरकार ने करवाई थी, वह ठीक नहीं हई है और हम दोबारा से इसकी इन्क्वायरी करवाएंगे। क्या सरकार द्वारा इसकी इन्क्वायरी करवाई गई? दूसरा, क्या यह व्यक्ति उद्घाटन करने में कम्पिटैंट है? यदि इस व्यक्ति की कम्पिटैंसी नहीं है तो जो अधिकारी/कर्मचारी इन उद्घाटनों में शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? अगर यह व्यक्ति कम्पिटैंसी में आता है या इसको ऑथोराइज किया गया है, तो क्या आप ऑथोराइजेशन लैटर को सभा पटल में रखेंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य जी ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जो भी उद्घाटन होते हैं, वह मुख्य मंत्री, मंत्रिगण या Any person who is authorized by the Chief Minister वो करते हैं and in this case the Vice Chairman of Disaster Management Board was duly authorized.

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

31.03.2017/1105/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3693 ...जारी

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो अथोराईज किया गया है, क्या यह इन-राइटिंग किया गया है या टेलिफोनिकली किया है? अगर इन-राइटिंग किया है तो क्या आप उस अथोराईजेशन लैटर को यहां दिखाएंगे या सभा पटल पर रखेंगे?

मुख्य मंत्री : इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है। If I duly invited for it and I don't go and if there is no Minister is available then I authorize the local person from there, either the Chairman or the Vice Chairman, to do this.

31.03.2017/1105/SLS-AS-2

प्रश्न संख्या : 4057

श्री बिक्रम सिंह (प्राधिकृत) : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न का पार्ट-सी है उसमें पूछा गया था - whether the Government is proposing to introduce new trades like Draughtsman (Civil), Cosmetology-Hair & Skin Care and Fashion Technology and Designing in this institute, if yes, by when? आपने इसका उत्तर दिया कि the matter is under examination. क्या जो अभी ट्रेनिंग का सत्र चलेगा, इसी सत्र में यह ट्रेड शुरू हो जाएंगे और इनका अग्जाम कंपलीट हो जाएगा? क्या इसी सैशन से क्लासिज़ शुरू हो जाएंगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले 2 कोर्सिज चलते थे और वर्ष 2014-15 से मैंने 3 और कोर्सिज शुरू किए हैं। उनमें एक

प्लंबरिंग का कोर्स भी शुरू किया गया था लेकिन प्लंबर के कोर्स में कोई भी एडमिशन नहीं हुई। इसमें आलरेडी 5 कोर्स चले हुए हैं। मैंने यह कहा कि जैसे प्लंबर का कोर्स चला और उसमें एडमिशन नहीं हुई, उसी तरह अगर Hair & Skin Care का कोर्स भी चालू करें और उसमें भी एडमिशन्ज न हों तो उसक कोई लाभ नहीं है। Let the report come, जैसे ही रिपोर्ट आएगी, हम उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे।

31.03.2017/1105/SLS-AS-3

प्रश्न संख्या : 4058

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने यहां रखी है, इसके अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में जो राशि यहां के लिए आबंटित की, वह 4,66,20,69,644.00 रुपये है जो राशि केंद्र सरकार से यहां पर आ चुकी है। आप देखेंगे कि इसी प्रश्न के 'घ' भाग में हमने पूछा था कि 15 फरबरी, 2017 तक कितना व्यय किया जा चुका है। आप हैरान होंगे कि इसमें से केवल मात्र 57,39,33,665.00 रुपये ही ख़र्च किए गए हैं। यहां पर अरबों में पैसा आया और प्रदेश की सरकार ने उसे व्यय नहीं किया। पहली किस्त 2016 के फरबरी माह में आ चुकी थी। जब पंचायतों के चुनाव हुए, उस समय पहली किस्त आई। उसके बाद मेरे ख़याल में जुलाई-अगस्त में दूसरी किस्त आ गई, अक्तूबर-नवम्बर में तीसरी किस्त आ गई और सारी पंचायतों के लिए पैसा उनके ब्लॉक हैडक्वार्टर्ज़ में पहुंच गया। लेकिन प्रदेश सरकार ने वहां पर इसे ख़र्च करने से रोक दिया। जो नई गाईडलाइंज भारत सरकार से यहां पर प्राप्त हुईं, उन सारी गाईडलाइंज को बदल दिया गया। उसके उपरांत 8-9 महीने कोई काम नहीं हुआ। अभी कुछेक महीने पहले जानकारी प्राप्त हुई है कि अब सरकार ने अलौ कर दिया कि जो गाईडलाइंज भारत सरकार की आईं,

जारी ... श्री गर्ग जी

प्रश्न सं. 4058--क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह----क्रमागत

उनके अनुसार इस पैसे को खर्च करने के लिए कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो इतनी भारी-भरकम राशि प्रदेश को मिली है, जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि महात्मा गांधी जी का सपना 'शान्ति, शान्ति, शान्ति', निश्चित तौर पर था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि गांव का विकास गांव स्तर से शुरू होगा और केन्द्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने सीधे पैसा पंचायतों को पंचायत स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की है और वहां पहुंचाया है। लेकिन प्रदेश सरकार उस पैसा को खर्च करने में बिल्कुल असफल रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह सारा पैसा कब तक व्यय कर दिया जाएगा और क्या भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार यह पैसा खर्च किया जा रहा है या प्रदेश सरकार की नई गाईड-लाइन्स को भी इसमें शामिल किया गया है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विस्तृत प्रश्न पूछा है। जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बताया, मैं इसमें सदन का थोड़ा समय लेना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव का विकास गांव के ही लोग करें और वहीं के चुने हुए प्रतिनिधि वहां का विकास करें। वह सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें संशोधन के रूप में पूर्ण किया। जिससे आज हम गौरवान्वित हैं कि हमारी राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने पहले भी और अब भी 50% प्रतिशत महिलाओं को पंचायत में जाने का मौका दिया, सब प्रकार की पंचायती राज संस्थाओं में जाने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि इसको जमीन पर उतारने की एक बहुत अच्छी बात है कि 14वें वित्तायोग ने हम लोगों को इतना बड़ा धन दिया जो माननीय सदस्य ने अभी पढ़कर बताया। मेरे पास इसके सारे आंकड़े भी हैं। हमारी पंचायत और हमारी योजना के रूप में जो आज यह पैसा मिल रहा है और दूसरे जितने भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन सबको हमें ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहिए।

Question is not the dearth of money, question is how to monitor it. I will give you true figures. 14th Finance Commission is based on the Central Guidelines,

31/03/2017/1110/RG/DC/2

which have also been given by the State Government, there is hardly any difference. il is mostly on the same guideline.. Basically
90 percent is the population criteria and 10 percent is the particular region what it consist of. So far in these two years, we have received Rs.446 crores.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको यहां पढ़ना चाहूंगा कि 14वें वित्तायोग की सिफारिशें वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020 तक जो की गई हैं जिसके अनुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 1809.80 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से मु. 1628.82 करोड़ रुपये मूल अनुदान और 180.98 करोड़ रुपये की राशि निष्पादन अनुदान के रूप में प्रस्तावित की गई है। Here, I was going through the record and I would like to say that even on performance grant, we have got kudos from the Government of India. ओ.डी.एफ. में भी we have done very well , and we have got first position in the Country. वर्ष 2015-16 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन वर्ष होने के कारण अनुदान का उपयोग नहीं हो सका। वर्ष 2016-17 में वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप व वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम संख्या-4 की अनुपालना में अनुदान के उपयोग हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना विधि तैयार की गई। पंचायती राज संस्थाओं के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने तथा विकास योजनाओं का जिला योजना समिति द्वारा समय पर अनुमोदन न होने के फलस्वरूप जारी वित्त आयोग के अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। This was very mandatory. If they are not trained in Mashobra or up to the Block level, then how will they use that money. I myself have attended 5-6 sessions and they were very methodical and very much required. भारत सरकार से प्रदेश को प्राप्त 14वें वित्तायोग

के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान अनुदान में जिला कांगड़ा के विकास खण्ड देहरा की ग्राम पंचायतों को कुल 9,11,33,000/- करोड़ रुपये।

श्री रविन्द्र सिंह : यह तो इसमें है।

31/03/2017/1110/RG/DC/3

Social Justice & Empowerment Minister: Have you got that, OK. Now I will just read one more thing. Speaker Sir, please allow me to speak for 1 or 2 minutes more. It is very important.

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2017/1115/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 4058 क्रमागत--
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी----

जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों को विकासात्मक कार्य करने हेतु अनुदान मांग के दृष्टिगत विभाग द्वारा मुद्दा काफी दिनों तक उठाया गया। दिनांक 16 फरवरी, 2015 से लगभग 28 अक्तूबर, 2017 के बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं दो या तीन बार अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा पत्राचार किया और जब यहां पर अक्तूबर, 2016 में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भ्रमण के लिए आए थे तो व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उपरोक्त मद्द पर चर्चा की गई। दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को पुनः अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा विचार हेतु उनसे आग्रह किया गया परन्तु उक्त सभी पत्राचार और व्यक्तिगत अनुरोध के पश्चात भी भारत सरकार द्वारा 14वें वित्तायोग में पंचायत समितियों तथा जिला परिषद को राशि प्रदान करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए। अब माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट अभिभाषण में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को विकासात्मक कार्य करने हेतु 42 करोड़ रुपये प्रदान

करने की घोषणा की गई है। I think it is a big relief and speaks of our Government's concern for the village development.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह 466 करोड़ रुपये का विषय है।

अध्यक्षः मंत्री जी ने इसका विस्तृत उत्तर दे तो दिया है।

श्री रविन्द्र सिंहः अभी तक की सारी डिटेल माननीय मंत्री जी ने यहां दे दी है। -(व्यवधान)- अध्यक्ष महोदय, इनको पता नहीं क्यों पीड़ा हो रही है, मैं तो हैरान होता हूं। प्रदेश का सारा विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केन्द्र से पैसा आ रहा है लेकिन ये जो इसमें सारी गाइडलाइन्ज बनी हुई हैं, वैसे माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में यहां सारा-का-सारा दिया हुआ है। मेरा यह मानना है कि पिछले साल जब पंचायती राज संस्थाओं/यू0एल0बी0 के चुनाव हो गए थे उसके उपरान्त ही सारी पंचायतों को पहली किस्त आनी शुरू हुई। अध्यक्ष जी, सवा साल होने को आ गया है लेकिन वह पहली किस्त जो फरवरी/मार्च, 2016 की है, उसका पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया है। इसका कारण बताया जाए कि वह पैसा क्यों खर्च नहीं हुआ? जबकि इसमें बताया गया है कि

31/03/2017/1115/MS/DC/2

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। वे इसकी समय-समय पर क्वार्टली मीटिंग किया करेंगे और फाइनैंस सेक्रेटरी उनको असिस्ट करेंगे। यह सारा इसमें दिया हुआ है। यह ठीक है कि आज मंत्री जी को उत्तर देने हेतु ऑथोराइज किया गया है लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दें तो ठीक रहेगा। मेरा निवेदन रहेगा कि इसको समयबद्ध करें यानी इस पैसे को समय-सीमा में बांधे क्योंकि इतनी भारी रकम आपको आई है और इससे पूरे प्रदेश में पंचायतों का विकास होने वाला है। ये जो पैसा आया है इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करें। यदि मुख्य सचिव के पास समय नहीं है तो जिला स्तर के जो अन्य अधिकारी हैं वे इसको मॉनिटर करें कि पिछले साल की पहली किस्त आज तक खर्च क्यों नहीं की गई है। यदि वह खर्च नहीं की गई है तो उसके लिए दोषी कौन हैं? यदि दोषी हैं तो उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मुख्य मंत्रीः मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो पैसा ग्राम पंचायतों के बीच में वितरित करने के लिए आता है वह डिमाण्ड ड्रिवन होता है। ग्राम पंचायत को पैसा तब दिया जाता है जब वह पहले जो पैसा दिया गया है उसके खर्च का ब्योरा देते हैं यानी उसके बाद उनको अगली किस्त जारी की जाती है। This has been a procedure, not today but in every Government of Himachal Pradesh. वरना क्या होगा कि हम पैसा ग्राम पंचायतों को भेजते जाएंगे बिना ये जाने की पहले दिया हुआ पैसा उन्होंने खर्च किया है या नहीं। It is a demand driven. तो पैसा उन्हीं की मद्द में है और यह कहीं डाइवर्ट नहीं होता है। पंचायतों को पहले जो पैसा दिया गया है जब उसका वे युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं उसके बाद उनको दूसरी किस्त/रकम दी जाती है।

श्री रविन्द्र सिंह श्री जे0एस0 द्वारा----

31.03.2017/1120/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 4058:-------**जारी**------

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह करने की कोशिश की है लेकिन मुख्य मंत्री महोदय, मेरा जानना यह है कि यह पैसा स्टेट गवर्नमैंट के बजाए सीधा यह पैसा पंचायतों व ब्लॉकों में पहुंच गया, स्टेट की किटी में तो नहीं आया । यह पैसा सीधा ब्लॉकों में चला गया। मुख्य मंत्री जी पैसा ब्लॉकों में आ गया है। यहां प्रदेश सरकार की ओर से कंडिशन लगा दी गई जो भारत सरकार ने वहां से गाईड लाईन भेजी उसके ऊपर आपने तीन कमेटियां बना दी थी। ये तीन कमेटियां इसमें बी0डी0सी0 वाले पहले इसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद जिला परिषद के पास जाएगा वह अप्रूव करेंगे और फिर एक आपने मॉनिटरिंग कमेटी अपनी ओर से बना दी । ये तीन कमेटियां बना दी थी। हम बार-बार इस विषय को इस माननीय सदन में उठाते रहे हैं और हमने मौनसून सत्र में भी उठाया था। उस समय यह प्रश्न लग नहीं पाया था। लेकिन ये सब गाईड लाईन जब प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई, जब तक उनको विद्ड्रा करेंगे और सीधा ब्लॉक बी0डी0ओ0 को कहेंगे। उसकी रिस्पोंसबिलिटी फिक्स करिए कि इस पैसे को within this period आप खर्च करेंगे। क्या ऐसा आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे?

मुख्य मंत्रीः जो आपने कहा है this is not the procedure at present and every Government in Himachal Pradesh has followed this procedure. Also this procedure has not been set aside by the Central Government. There is no other procedure. फिर तो केन्द्र को चाहिए कि यह पैसा सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में जमा कर दें। ....(व्यवधान)...ऐसा है स्टेट गवर्नमैंट पैसे को ब्लॉकों को भेजती है और आगे पैसा ग्राम पंचायतों को बांटा जाता है। जो पैसा दिया जाता है उसका यूटेलाईजेशन सर्टिफिकेट आता है उसके बाद ही दूसरी किश्तें दी जाती है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि यह पैसा सीधा पंचायतों को जाएगा और पंचायतों के खाते में यह उस दिन से पड़ा हुआ है। यह सारा रिप्लाई माननीय मंत्री जी के द्वारा यहां पर दिया गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो तीन ब्लॉक पड़ते हैं मैंने उनकी सूचना मांगी थी। यह पैसा फरवरी, 2016 से लेकर तीन-चार किश्तें आ चुकी हैं और वह सारे का सारा पैसा सीधा वहां पर गया है। मुख्य मंत्री जी वह पैसा प्रदेश की किटी में नहीं गया है। उस पैसे को प्रदेश की सरकार ने रोक दिया।

31.03.2017/1120/जेके/एजी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पैसे देने की प्रक्रिया कोई भी हो। प्रश्न यह है कि पैसा किस वर्ष के लिए पंचायतों को दिया जाता है जब उसका यूटेलाईजेशन सर्टिफिकेट आता है उसके बाद भी अधिक फंडज प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप डायरैक्शन्ज दें कि ये जो पैसा आ चुका है जो कि ब्लॉक्स में पड़ा हुआ है और बी0डी0ओज0 यह कहते हैं कि जब ये गाईड लाइन्ज फुलफिल नहीं होगी उस समय तक आप यह पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। अब कुछ दिन पहले यानि एक महीना पहले जानकारी मिली है उसमें शायद आपने कहा है कि जो केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं के ऊपर इस पैसे को खर्च किया जाए। लेकिन अभी भी यह प्रॉपर गाईड लाईन नहीं है। इसमें एक नई अडिशनल कर दी है कि लैंड की गिफ्ट डीड ब्लॉक्स में देंगे तो उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। मेरे किसी माननीय सदस्य का इसके बारे में प्रश्न भी लगा है अभी वह आगे आएगा लेकिन उसके ऊपर आप उसको विद्ड्रा करें। ये सारी अड़चन डालने वाली

आप शर्तें लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई काम नहीं हो पाएगा। जब आप कहते हैं कि महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था कि गांव के लोग इस काम को करेंगे और गांव का विकास तब होगा। आप तो उसमें कंडिशन लगा रहे हैं? आप लोग 90 लाख रूपया रोकने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान) उस समय पैसा पंचायतों को नहीं जाता था। उस समय पंचायतों को पैसा सीधा नहीं जाता था। उस समय स्टेट की किटी में पैसा आता था और इसी को खत्म करने के लिए यह जो धंधा होता था कि पंचायतों को पैसा सीधा न जाना, स्टेट की किटी में पड़ा रहना और वहां पर इंट्रस्ट प्रदेश की सरकार खाती थी। वह इंट्रस्ट खत्म हुआ और अब पंचायतों से वह इंट्रस्ट लेंगी। अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी रुका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है और अध्यक्ष महोदय मैं देख रहा हूं कि मेरे पक्ष वाले माननीय मित्रों के भी चेहरे पर शिकन है इनको मालूम है कि पैसा आ चुका है, क्योंकि यह कंडिशन जो लग गई है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

31.03.2017/1125/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 4058 क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

मेरे साथी कह रहे हैं कि पैसा खर्च हो गया है। 466 करोड़ 20 लाख 69 हजार 644 रुपये आ चुके हैं जबकि आपने केवल मात्र 57 करोड़ रुपया खर्च किया।

मुख्य मंत्रीः सुनिये, आप ही बोलते रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः मुख्य मंत्री जी बोलना तो पड़ेगा। मु0 466 करोड़ रुपया केन्द्र की सरकार ने एक साल से प्रदेश को भेजना शुरू कर दिया है ।

मुख्य मंत्रीः सैंट्रल गवर्नमैंट कोई खैरात नहीं दे रही है। It is continuing the old system. मैं कहना चाहता हूं - I have got the latest information - कि जो पैसा केन्द्र से ग्राम पंचायतों को आया है that has been sent to all the Gram Panchayats. शुरू में एक साल उनका ट्रेनिंग पीरियड था। उनको प्लैनज़ बनानी थीं। जब उन्होंने प्लैनज़ बनाईं उसके बाद ही पैसा रिलीज हुआ है। Every penny is with the Gram Panchayats. यह मैं आपको कहना चाहता हूं। अब वे उसका कितना यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक करते हैं या सही नहीं करते हैं it depends upon them.

31.03.2017/1125/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 4059

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने 109 स्वीकृत बसों के अगेंस्ट 123 बसें सरकाघाट डिपो को दी हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी छोटी बसें हैं जोकि पहाड़ी सड़कों पर चलने लायक हैं? वहां बड़ी बसें तो नहीं चलती हैं, इसकी वजह से बहुत से रूट बंद हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसमें से छोटी बसें कितनी हैं जोकि तंग सड़कों पर चलती हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा कि क्योंकि अब सड़कों की संख्या बढ़ गई है तो ऐसी कितनी सड़कें हैं जोकि एस0डी0एम0 के तहत बनी कमेटी ने पास की हैं और उन पर बसें नहीं चल रही हैं? ये दो प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवादी हूं जो इन्होंने बताया। मैं थोड़ा-सा बता देना चाहता हूं क्योंकि यह एक गलतफ़हमी रहती है कि बसें कहां गईं। मैं पढ़ देता हूं कि कितनी बसें हमने अभी दी हैं। रिकांगपिओ को 36 बसें, रामपुर को 72 बसें, रोहड़ू को 58 बसें दी हैं, मैं यह सिर्फ नई बसों की गिनती कर रहा हूं। शिमला रूरल को 88 बसें, शिमला लोकल को 97, तारादेवी को 67, सोलन को 63, नाहन को 64, मंडी को 87, कुल्लू को 88, कैलाँग को 26, सरकाघाट को 55 और सुन्दरनगर को

55, धर्मशाला को 75, चम्बा केा 92, पालमपुर को 67, बैजनाथ को 68, हमीरपुर को 101, देहरा को 61, ऊना को 81, बिलासपुर को 71, नालागढ़ को 58, परवाणु को 52 और नगरोटा बगवां को 52, ये माननीय अध्यक्ष जी, हमने नई बसें दी हैं। अगर उसके बाद भी तसल्ली नहीं हो रही तो मैं क्या करूं!

माननीय अध्यक्ष जी, जो छोटी बसों के बारे में पूछ रहे हैं मैं बताना चाहता हूं कि हमने सरकाघाट में 14 नयी छोटी बसें एलॉट की हैं। हमने तकरीबन 30 परसैंट डिपुओं की स्ट्रैंथ और बढ़ा दी है। जैसे आपके डिपो में 109 के अगेंस्ट 123 बसें उपलब्ध हैं,

जारी श्रीमती के0एस0

31.03.2017/1130/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः4059 जारी----

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी---

अभी और नई छोटी बसों का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में रखा है। नई बसों का टैंडर हो रहा है। जैसे ही नई बसें आएंगी, जहां-जहां जरूरत होगी, आवश्यकतानुसार एस.डी.एम. साहब से जैसे ही रिकमेंडेशन आएगी, वे अपने रूट डालेंगें, रूट का जैसे ही परमिट मिलेगा, आपकी बस चला दी जाएगी।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ब्रेकअप आपने दिया उसमें, सरकाघाट डिपो या दूसरे डिपुओं में कितनी बसें ड्राईवर और कंडक्टरों के अभाव में खड़ी हैं और कब से खड़ी हैं? दूसरे, माननीय मंत्री जी आप जानते हैं कि घुमारवीं, सरकाघाट जो एक्सिज़ हैं, उसमें किसी डिपो की कोई बस नहीं जाती। इसके अगेंस्ट अगर आप घुमारवीं, हमीरपुर देखें तो उसमें बहुत सी बसें चलती हैं। वैसे ही सुन्दरनगर, बिलासपुर एक्सिस में चलती है लेकिन बीच में हमारे किसी डिपो की बस नहीं चलती है। क्या इस बात को ध्यान में रखकर आप छोटी बसें हमें देंगें? तीसरे, मैंने आपसे

सरकाघाट से वाया बलद्वाड़ा घुमारवीं से वोल्वो बस चलाने के लिए भी रिक्वेस्ट की थी। क्या आप उसे शुरू करेंगें?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक वोल्वो बस की बात है, वह हम रिवाल्सर या सरकाघाट से, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, उसको चालू करेंगें । उसके लिए बाकी पड़ौसी राज्यों से टाइमिंग मांगनी पड़ती है। क्योंकि बस अगर सरकाघाट से दिल्ली जाएगी तो चण्डीगढ़ का टाईम चाहिए, दिल्ली का टाईम चाहिए उसके लिए अप्लाई कर दिया है। We are working on that. मगर सरकाघाट के बगल से ही जाहू से हमने ऑलरेडी वोल्वो बस चला दी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बीच के एरिया में कमी है। अगर कहीं पर कमी होगी तो हम उसको पूरा करेंगें और आपके साथ बैठकर सॉट आऊट करेंगें। सरकार की यही मन्शा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी जनता रहती है, उनको अधिक से अधिक परिवहन सुविधा दी जाए।

31.03.2017/1130/केएस/एएस/2

श्री गोविन्द राम शर्माः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सोलन डिपो को आपने 63 बसें दी। अर्की में जो सब डिपो खोला गया था, उसको आपने बन्द कर दिया, आपका धन्यवाद। 6 महीने बाद हमारी सरकार आएगी तो हम खोल लेंगें लेकिन अर्की के लिए आपने उसमें से कितनी बसें दी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने कोई सब डिपो न खोला था और न ही बन्द किया। आप अगर उसके खोलने की नोटिफिकेशन इस माननीय सदन में रखेंगें तो मैं आपको उसके ऊपर पूरी जानकारी दे दूंगा मगर अर्की में कोई भी सब डिपो नहीं हैं और सब डिपो का एच.आर.टी.सी. में कोई कन्सैप्ट नहीं है। जहां तक इन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि कितनी बसें बिना ड्राईवर कंडक्टर के खड़ी हैं, कुछ बसें खड़ी हैं मगर सरकाघाट डिपो में कोई भी बस ड्राईवर व कंडक्टर की कमी की वजह से नहीं खड़ी है।

श्री गोविन्द राम शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार के समय में पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय धूमल जी और उस

समय के परिवहन मंत्री आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने उस सब डिपो का उद्घाटन किया था। अगर उद्घाटन किया था तो क्या आपके डिपार्टमैंट ने वह फ्रॉड करवाया था? वहां एरिया मैनेजर भेज दिया था, मशीनरी भेज दी, स्टाफ भेज दिया था लेकिन जब से आपकी सरकार आई, तब से वह एरिया मैनेज़र भी, स्टाफ भी और मशीनरी भी सारी की सारी ट्रांसफर कर दी। मैं तो आपसे यह पूछ रहा था कि वह तो आपने बन्द कर दिया लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 63 बसें जो सोलन के लिए दी, उसमें से अर्की के लिए कितनी दीं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह मूल रूप से सवाल सिर्फ सरकाघाट को ले कर हैं। आप जो कह रहे हैं, अर्की में कितनी बसें दी तो मैं कहना चाहता हूं कि हम डिपो वाईज़ बसें उपलब्ध करते हैं, चुनाव क्षेत्रवार बसें उपलब्ध नहीं करते, यह जवाब है।

अगले वक्ता श्रीमती अ0व0 की बारी में---

31.3.2017/1135/AV/AS/1

प्रश्न संख्या : 4059 ---------- क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यहां पर सारी बसें गिनवाई जो सब डिपुओं में भेजी। उसमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत कितनी आई और स्टेट के ऐक्सचैकर से कितनी आई है? आपने बसें तो दे दीं लेकिन फार्मूला वही अडाप्ट कर दिया कि सीमा पर सैनिकों को बन्दूक देकर खड़ा कर दो मगर बन्दूक खाली। आपने बसें तो भेज दी लेकिन वहां ड्राईवर / कंडक्टर कोई नहीं है। क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनको पूरा करने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है?

परिवहन मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से 791 बसें, स्टेट के ऐक्सचैकर से 575 तथा 250 और बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की कुछ बसों को छोड़कर सारी बसें ओन रोड है। जहां तक

आपने कहा तो ड्राईवरों की कोई कमी नहीं है, टी0एम0पी0ए0 की कमी है और यह मैटर सबजुडिस है।

31.3.2017/1135/AV/AS/2

प्रश्न संख्या : 4060

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके 'क' भाग में पूछे गये प्रश्न का उत्तर मौन है, उसका आपने उत्तर ही नहीं दिया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश में मुख्य मंत्री आदर्श कृषि ग्राम योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाए। इसमें पूरी योजना की जो नीति है उसकी कापी मांगी थी और मैंने यह पूछना चाहा था कि क्या यह योजना बनाई थी? मगर यहां तो कोई उत्तर नहीं दिया गया है, इसके क्या कारण है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह योजना वर्ष 2013-14, 2014-15 में रही है और 2015-16 में बंद कर दी गई है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी भी जवाब नहीं आया। मैंने कापी मांगी थी कि इस योजना की नीति क्या है? वह नीति आपने कहां दी है? आप जो कह रहे हैं कि बंद कर दी गई है तो मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, आपको भी स्मरण होगा, मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर जब चर्चा हो रही थी तो उसमें भाग लेते समय मैंने यह जानना चाहा था कि इस योजना का क्या हुआ? क्योंकि इस योजना का भाषण में उल्लेख नहीं था। मुख्य मंत्री जी ने उस पर बैठे-बैठे कहा था कि बंद नहीं हुई, चल रही है। उसकी पुष्टि मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी ने की थी कि कहा है कि चालू है। आज आप कह रहे हैं कि चालू नहीं है तो इसको बंद करने के क्या कारण रहे? जब एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी तो उसको बंद क्यों किया गया? आपने प्रश्न के 'ख' भाग का जो उत्तर दिया है इसमें मैंने पूछा था कि गत तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया; ब्यौरा वर्षवार दें। आपने इसमें लिखा तो तीन वर्ष का है और ब्यौरा दो

साल का है क्योंकि योजना ही बंद हो गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो उस दिन कहा था वह सत्य था या जो आज आप कह रहे हैं यह सत्य है?

31.3.2017/1135/AV/AS/3

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से तो जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। यह योजना शुरू की गई थी जो कि दो साल चली और तीसरे साल बंद हो गई। (---व्यवधान---) बंद कर दी, प्रशासनिक तौर पर बंद कर दी।

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने एक तो इस योजना को बंद करने के कोई कारण नहीं बताए। आपको उन कारणों की लिखित सूचना इस सदन में रखनी चाहिए। यह एक ऐसी योजना थी जिसका गांव में किसानों को डायरैक्ट लाभ मिल रहा था,

श्री वर्मा द्वारा जारी

31/03/2017/1140/टी0सी0वी0-डी0सी0/1
प्रश्न संख्याः4060 ..... क्रमागत।

श्री विजय अग्निहोत्री .... जारी

उसको बन्द करने के क्या कारण रहे और नदौन विधान सभा क्षेत्र में आपने इस योजना के अंतर्गत किन-किन गांव को लिया था, जिनको इस योजना से लाभ हुआ? इसके अलावा जो प्रति आदरणीय महेश्वर जी ने मांगी है, वह भी सदन के पटल पर रखी जाये।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः जिला हमीरपुर में वर्ष 2014-15 में 5 विधान सभा क्षेत्रों में निम्नलिखित पंचायतों का चयन संबंधित विधायकों द्वारा किया गया, जिनमें 10 लाख रुपये प्रति पंचायत खर्च करने का प्रावधान थाः-

पंचायत नदौन बरमोटी- खुर्द, बड़सर गबरियाणा, हमीरपुर -ललील, सुजानपुर- री, भोरंज -फलबानी।

वर्ष 2014-15 में माननीय विधायक द्वारा नदौन विधान सभा क्षेत्र में बरमोटी खुर्द पंचायत का चयन किया गया था, जिसमें 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बहाव सिंचाई योजना रक्कड़ का निर्माण कार्य मु0 10 लाख रूपये की राशि खर्च करके पूर्ण कर लिया गया है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाह रहे हैं कि इस योजना को बंद करने के क्या कारण रहे हैं। बाकी आपने इसको बन्द कर दिया है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः इस योजना को बंद करने का कारण प्रशासनिक दृष्टि या धनराशि का अभाव भी हो सकता है।

31/03/2017/1135/टी0सी0वी0-डी0सी0/3

प्रश्न संख्या : 4061

श्री संजय रतन (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो इसका उत्तर दिया है, उसमें एक तरफ ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि Inland Waterways Authority of India (IWAI), Ministry of Shipping, Government of India के माध्यम से इन्होंने एक कंसल्टेंट अप्वाईंट किया है और ये इन्होंने तीन जगह भाखड़ा डैम, कौल डैम और चमेरा डैम में चैक करने के लिए अप्वाईंट किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने ये जो कंसल्टेंट अप्वाईंट किया है, क्या ये इन तीन जगहों के लिए ही है या हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम इत्यादि को भी इसमें शामिल किया जाएगा? दूसरा, ये कंसल्टेंट कब अप्वाईंट हुआ और ये प्रदेश सरकार कब तक फिजिबिलिटी को दे देगा?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी ये सवाल तो श्रीमती आशा कुमारी जी का था, लेकिन श्री संजय रतन जी को दिया है, क्योंकि ये ज्यादा

नॉलेज रखते हैं। बड़ी अच्छी तरह सवाल पूछेंगे और जवाब भी अच्छी तरह आएगा।

Question No. 4061 (a) Whether is it the fact that Department of Transport has any proposal to run water taxies i.e. boats in the various water bodies in the State? So we said No. Sir, we don't want to run taxies. Then the next is feasibility, what is the proposal and whether the department will run water taxies in Chamera-I lake also? We said No. Sir, the Department of Transport, Himachal Pradesh and Inland Waterways Authority of India (IWAI), Ministry of Shipping, Government of India, have kept it on PPP mode.

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी ।

31/03/2017/1145/ एन0एस0/डी0सी0/1

प्रश्न संख्याः 4061 -- क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ----- जारी

हम लोगों ने पी0पी0पी0 मोड पर ट्रांसपोर्ट सैक्टर को आगे ले जाने के लिए ऐसा किया है ताकि लोग शोर्टेस्ट रूट से जा सकें। इसको हम पी0पी0पी0 मोड पर करेंगे। इसमें विभाग का कोई लेना देना नहीं होगा। हमारे पास ऐसे साधन नहीं है कि हम शिप डाल सकें। हम इसको करेंगे और चलायेंगे। भारत सरकार ने कन्सलटैंट दिया है। जब माननीय गडकरी जी यहां पर आए थे, तब हमने उनसे रिक्वैस्ट की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए 3-4 स्थानों को सलैक्ट किया गया है। उन्होंने चमेरा, भाखड़ा बांध और पौंग बांध आदि स्थानों को सलैक्ट किया है। इन तीनों जगहों के लिए कन्सलटैंट अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, तब हम भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए जायेंगे। यह प्रोजैक्ट भारत सरकार के साथ मिल करके किया जाएगा।

श्री संजय रतनः सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कन्सलटैंट को किसने अप्वाईंट किया है? इसे स्टेट गवर्नमैंट ने अप्वाईंट किया है या फिर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया/केंद्र सरकार के थ्रू अप्वाईंट किया गया है? अभी जो जबाव मंत्री जी ने दिया,

उसके हिसाब से मुझे भी ईंगलिश पढ़ने आती है तो उस हिसाब से मंत्री जी का जबाव कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ यह जबाव में नहीं भी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कन्सलटैंट अप्वाईंट भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर फीजेबिलिटी देखने का परपज़ ही क्या है, जब आप इनको चलाना ही नहीं चाहते हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय महेश्वर सिंह जी, अभी भी बसें नहीं चलीं तो आपके जन्म में नहीं चलेंगी। यह मैं आपको लिख कर देता हूं। आपको आदत है। आपने हिमालयन स्की विलेज़ नहीं लगने दिया था। आपको पता है कि उसमें माननीय कोर्ट की क्या जजमैंट आई थी? हिमाचल के लोगों को रोज़गार न मिलने देने के लिए आप रिस्पोंसिबल हैं। ...(व्यवधान)... आप अभी बैठिए और जबाव लीजिए। मैं आपको जबाव दे रहा हूं कि बसें चली हैं या नहीं, इसको हिमाचल की जनता बताएगी। - ...(व्यवधान)... Water Sports is also a responsibility of Department of Transport. Since there are no big water bodies in the State, water transport is mainly confined to small artificial lakes created by the said authorities through letter.

31/03/2017/1145/ एन0एस0/डी0सी0/2

We have river Beas , Satluj and Ravi इन तीन में चलाने की प्रपोजल की गई है। इसमें हमने गोबिन्द सागर, कौल डैम और अन्य 2-3 जगहों का भी गडकरी जी को बताया था। भारत सरकार का जो कन्सलटैंट लगा है, उसने अभी इनीशियल रिपोर्ट नहीं दी है। जो यह कन्सलटैंट लगा है, उसकी रिसैंटली अप्वाईंटमैंट हुई है। So we are taking up. मैंने पहले भी कहा कि जब यहां पर माननीय गडकरी जी आए थे, तब से टेकअप कर रहे हैं और इसके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसमें कोई इनीशिएटिव लेते हैं, तब इसमें सहयोग मिलना चाहिए बल्कि यह नहीं बोलना चाहिए कि यह नहीं चलेगा। अगर आप सभी पहले ही डिस्करिज़ कर देंगे, तब काम कैसे चलेगा? मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती है कि अगर कोई इनीशिएटिव लिया जाता है तो उस इनीशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए साथ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि गडकरी जी मेरे भी मंत्री है और आपके (विपक्ष) भी मंत्री हैं। वे भारत सरकार के मंत्री हैं। वे यहां आए तो मैं उनका नाम ले करके बोल रहा हूं। उन्होंने अपने आप चेयरमैन को बुलाया और कहा कि

इसको करो। अब अगर यह काम होने लगा है तो कृपा करके डिस्करिज़ न करें। माननीय महेश्वर सिंह जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं और आपसे हम सहयोग चाहते हैं तथा आप ऊंगली देने का प्रयास न करें।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि जो आप वाटर टैक्सीज़ की बात कर रहे हैं और इसके लिए आपने कन्सलटैंट हायर करने की बात कही है। जबकि हिमाचल प्रदेश में हमारा पहले ही एक वर्ग बोट चलाने का काम करता है। जब हमारे पास क्म्युनिकेशन्ज़ के साधन नहीं थे और सड़कें नहीं थीं।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

31/03/2017/1150/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 4061... जारी

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

जो काम आजकल सड़कों की कम्युनिकेशन के कारण छूट गया है, जो आपने कंसल्टैंट हायर किए हैं उनको डायरकेशन दी जाए कि ऐसा वर्ग, ऐसी जातियां, जो हिमाचल प्रदेश में काम करती हैं उनके साथ कंसल्टेशन की जाए। जिससे उनको काम/रोजगार भी मिलेगा और साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम तो कंसल्टैंट भेज देंगे परन्तु माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी आप भी आदरणीय गडकरी जी को यह सुझाव देना, फिर देखना वह आपको क्या बोलेंगे? आप कृपा करके यह सुझाव जरूर देना और मुझे भी इस बात से अवगत करवाना कि उन्होंने क्या कहा? माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इससे लगता है कि आप मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पहले से हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम कंसल्टैंट साहब को बोलेंगे कि उनकी रोजी-रोटी और उनकी एक्सपर्टिज़ का पूरा लाभ उठाएं। कुछ सुझाव हमारे

साथियों से भी मिले, तो उनको भी इसमें जोड़ा जाए। खासकर श्री रविन्द्र सिंह जी और भाई महेश्वर सिंह जी के सुझावों को जरूर जोड़ा जाए।

31/03/2017/1150/RKS/AG/2

प्रश्न संख्याः 4062

श्री रणधीर शर्माः (अनुपस्थिति)

डॉ0 राजीव बिन्दलः (अनुपस्थिति)

31/03/2017/1150/RKS/AG/3

प्रश्न संख्याः 4063

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 से भारत सरकार की तरफ से 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' के अंतर्गत विभिन्न प्रोजैक्टों के लिए धनराशि प्राप्त हुई है। उस राशि में से पहली किस्त आपके पास पहुंच चुकी है। आज वर्ष 2017-18 शुरू हो चुका है। जो राशि भारत सरकार की तरफ से आपको दी गई है, उस राशि को खर्च करने के लिए जो प्रक्रिया बनानी चाहिए थी, उस प्रक्रिया को अपनाते-अपनाते पांचवीं बार टैंडर किए जा रहे हैं। क्या कारण है कि आपको पांचवीं बार टैंडर करना पड़ रहे हैं? क्योंकि किसी भी काम के लिए जब टैंडर किया जाता है, फस्ट कॉल में यदि सिंगल टैंटर आता है तो टैंडर की रिकॉलिंग की जाती है। सैंकिंड बिड में जितने टैंडर आते हैं उनकी जस्टिफिकेशन्ज़, कम्पैरिज़न स्टेटमैंट बनाकर उन्हें फाइनल कर सकते हैं। आप पांचवी बार भी यह कह रहे हैं कि हम टैंडर को 3 या 5 अप्रैल को खोलने जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि को क्यों रोकने का प्रयास किया जा रहा है?

बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 85 परसेंट ग्रांट, 10 परसेंट लोन और 5 परसेंट शेयर के हिसाब से 13 करोड़ रुपये की पहली किस्त अगस्त, 2015 को मिली है और इसकी गाइडलानन वर्ष 2016 में फ्रेम हुई। 26 जुलाई, 2016 को स्टेट को अलाउ किया था कि जहां से मटेरियल खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। अब टैंडर 6 अक्तूबर को हुए हैं जोकि 1 से 3 अप्रैल तक खुल रहे हैं। इसका यह कारण है।

अगला वक्ता श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

31.03.2017/1155/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 4063...जारी

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इस योजना का प्रारूप क्या है? What are the features of this Scheme? क्या यह योजना हमारे ओल्ड इलैक्ट्रिक सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए या, उसको ऑगमैंट करने के लिए है? आज गांव में ऐसे बहुत सारे हैमलैट हैं जहां बिजली पहुंचाना शेष है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो आज के समय में वह चारों अलग-अलग मकान बनाते हैं। वह कई वर्षों तक कनैक्शन लेने के लिए कहते रहते हैं लेकिन उनको कहा जाता है कि आप अपना पैसा ख़र्च करो; डिपोजिट करो, फिर हम आपका मीटर लगा देंगे। क्या ऐसे बचे हुए हैमलैट्स भी इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे? दूसरे, क्या भारत सरकार की ओर से यह एक टाईम बाऊंड प्रोग्राम है? अगर है तो भारत सरकार की ओर से कब तक इसको पूरा करने के लिए गाईडलाईंज इसु हुई है। आप इन बिंदुओं पर सूचना दीजिए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊजा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है, इस स्कीम के फीचर्ज़ में पुरानी स्कीमों को ऑगमैंट करना भी शामिल है और आगे

भी कनैक्शन देने हैं। Hundred per cent electrification of houses. जो छूटे हुए घर या हैमलैट्स हैं, वह भी इसमें कवर होंगे। हमने 100% कवर करना है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि बिजली विभाग ऐसा विभाग है जो 100% कवरेज कभी भी नहीं कर सकेगा। मेरे अपने गांव की बात है। मेरे घर के सामने एक फ्रीडम फाईटर हुआ करते थे। उनका एक मकान था और उनके 6 बेटे थे। वह शिफ्ट होकर गांव में आए और हम इकट्ठे बसे। उनके मरने के बाद 6 मकान बन गए। उनके जो 6 बेटे थे, उनके अब 14 बेटे हैं। इसलिए जो बाकी हैं उनकी इलैक्ट्रिफिकेशन होने वाली है। ...(व्यवधान)... मैं यही कह रहा हूं। हम उनको कर रहे हैं। वह पैसा जमा करवाएंगे, तभी करेंगे। ऐसा नहीं है। उनको बिजली के अप्लाई करना पड़ेगा, तभी

31.03.2017/1155/SLS-AG-2

कनैक्शन मिलेगा। हम उनके लिए लाईन भी बिछाएंगे।...(व्यवधान)... बिछाएंगे तब जब काम शुरू करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि यह जो हैमलैट्स हैं, दूर-पार के घर हैं, उनको इलैक्ट्रिफाई करना असंभव है। इनके उत्तर का यही निष्कर्ष निकलता है। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे यहां पहाड़ हैं और आबादी बिखरी हुई है? इस योजना के अंतर्गत जब भी कोई कनैक्शन मांगता है, तो कहा जाता है कि पोल खड़ा करने का काम भी तुम करो और ख़र्च भी तुम दो। क्या आप इस कंडिशन को समाप्त करेंगे और उनको पोल भी उपलब्ध करवाएंगे? विशेषकर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊजा मंत्री : आप कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर दूरी पर जाकर बसा है, क्या वहां पर मुफ्त बिजली पहुंचाएंगे? मैं इसका पता करके आपको बताऊंगा।

Question Hour is Over.

अगली मद ... श्री गर्ग जी

31/03/2017/1200/RG/AS/1

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्ष : अब स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे। सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन्हें महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है :-

1. हेमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन वेधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 4);
2. हेमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 5); और
3. हेमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 6) ।

31/03/2017/1200/RG/AS/2

<u>कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे</u>

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे। सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;
ii. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;
iii. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;
iv. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;
v. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार; और
vi. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना

31/03/2017/1200/RG/AS/3

ii. संख्याःएच0टी0सी0ए(3)-3/2003(ए.ओ) दिनांक 17-02-2017 व 04.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27-02-2017 व 24.03.2017 को प्रकाशित; और

iii भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएच0टी0सी0ए(3)-1/01 दिनांक 17-02-2017 व 04.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27-02-2017 व 24.03.2017 को प्रकाशित ।

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और
ii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15(विलम्ब के कारणों सहित) ।

31/03/2017/1200/RG/AS/4

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा **प्राधिकृत माननीय उद्योग मंत्री** कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15(विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा **प्राधिकृत माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता** कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक सभा पटल पर रखता हूं :-

i. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(5) के अन्तर्गत पंचायत के लेखों का संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 ; और
ii. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपी0सी0एच0-एच0ए(3)4/2011-II दिनांक 06.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.03.2017 को प्रकाशित ।

31/03/2017/1200/RG/AS/5

<u>सदन की समिति के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से **लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **170वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) जोकि समिति के 60वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति के **49वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 60वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

31/03/2017/1200/RG/AS/6

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : अब श्रीमती सरवीन चौधरी जी नियम-62 के अन्तर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्तुत करेंगी तथा माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत कि आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुझे यहां बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 2 फरवरी, 2017 को दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार, शीर्षक 'ए.डी.एम. से लगाई लापता बेटी को

ढूंढने की गुहार' से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

31/03/2017/1205/MS/AS/1

श्रीमती सरवीन चौधरी जारी------

समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "ए0डी0एम0 से लगाई लापता बेटी को ढूंढने की गुहार", से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, 40 वर्षीय शारदा देवी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुई है। यह घटना 27 जुलाई, 2016 की है। शारदा देवी का विवाह वर्ष 2001 में नगरोटा-बगवां के गांव ठानपुरी में विनय कुमार के साथ हुआ था जोकि एच0आर0टी0सी0 में ड्राइवर है। इनका तलाक का केस चला हुआ है। पिछले दो वर्षों से यह महिला अपने मायके गांव मकरोटी जो शाहपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां रहती थी। इसके दो बच्चे 13 वर्षीय बेटा और 16 वर्षीय बेटी है जोकि पिता के साथ ठानपुरी में रहते हैं। अध्यक्ष जी, शारदा देवी के पिता मनोहर लाल और उनकी माता रली देवी बहुत बुजुर्ग हैं और उनके अनुसार शारदा देवी कभी-कभी अपने बच्चों से मिलने नगरोटा-बगवां जाती थी और कभी-कभी अपनी ननद के घर माहपुर में भी रहती थी। यह घटना दिनांक 27/7/2016 की है जब उसके पति द्वारा मेले के बहाने बुलाने पर वह नगरोटा-बगवां चली गई और उसी दिन से शारदा देवी लापता है। घर के लोगों ने सोचा कि शायद वह ननद के घर में होगी या अन्य किसी रिश्तेदार के पास होगी परन्तु जब वह वापिस नहीं आई तो फिर हारकर उन बुजुर्ग लोगों ने दिनांक 11/8/2016 को पुलिस थाना नगरोटा-बगवां में एक आवेदन पत्र दिया कि हमारी बेटी इस तरह से लापता है। उसके बाद लगातार सी0एम0 ऑफिस से भी उन्होंने सम्पर्क रखा। मुख्य

मंत्री जी के ऑफिस में भी उन्होंने अपनी गुहार लगाई और मुख्य मंत्री जी के ऑफिस से दिनांक 25/11/2016 को एस0पी0 कांगड़ा को यह बताया कि इसकी दुबारा से जांच करके सी0एम0 ऑफिस को अप्राइज करवाया जाए लेकिन उसका कोई जवाब न माता-पिता को पता है और न ही उसका कोई सुराग मिला है। हारकर दिनांक 7/12/2016 को इसकी एक एफ0आई0आर0 प्रौपर तरीके से फिर करवाई गई और यह रहस्यमयी परिस्थति इसलिए भी हो जाती है क्योंकि शारदा

31/03/2017/1205/MS/AS/2

देवी और उसके पति का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था और कोर्ट में केस वर्ष 2014 से लगा हुआ था। इसकी पेशी दिनांक 11/7/2016 को कांगड़ा में हुई थी। अध्यक्ष जी, वकील रमेश चन्द के अनुसार उसको खर्चा और उसी घर में अलग से रहने के लिए एक कमरे की वहां बात चली हुई थी और अगली पेशी से पहले दिनांक 27/7/2016 को यह महिला गायब हो गई। इसकी अगली पेशी दिनांक 2/8/2016 को थी जिसमें इसको खर्चा और ये सारी चीजों की व्यवस्था होनी थी। मैंने स्वयं भी वहां के थाना प्रभारी एन0डी0 थिण्ड से बात की कि वहां मेले के बहाने बच्चों से मिलने के लिए उसको बुलाया गया था। अब इस महिला का मोबाइल फोन भी बन्द है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की महिलाएं रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक और भी ऐसा केस है। क्योंकि उसकी अभी अखबार में कोई न्यूज नहीं आई है इसलिए मैं उसका नाम और केस का बखान यहां नहीं करना चाहूंगी। मैं सिर्फ यहां रेफरेंस ही देना चाहती हूं कि हमारे यहां से दो लड़कियां लापता हुई हैं और पुलिस प्रशासन बार-बार आश्वासन दे रहा है और गांव के सभी लोग प्रधान तथा पंचायत वाले लगातार नगरोटा-बगवां के थाने में जाकर उसकी पूछताछ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, उस महिला के केस में मुख्य मंत्री जी ने स्वयं एस0पी0 को लिखित रूप से पत्र दिया है जिसकी प्रति मेरे पास है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश होने के बावजूद भी इसका पति, हालांकि कुछ और भी बातें हैं जो मैं सदन में नहीं रखना चाहूंगी क्योंकि उसकी आगे जांच करना पुलिस का काम है। उस महिला का पति

एच0आर0टी0सी0 में ड्राइवर है और उस महिला के दो बच्चे हैं जो उसके पति के साथ रह रहे हैं। इसलिए कुल-मिलाकर महिला की गुमशुदगी का कुछ-न-कुछ क्लू अवश्य मिलना चाहिए। हिमाचल जैसे राज्य में इस तरह का वातावरण जो महिलाओं के लापता होने का बन रहा है इसको सरकार को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए और मैं मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहती हूं कि इस केस की पुलिस विभाग मुस्तैदी के साथ छानबीन करे।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

31.03.2017/1210/जेके/डीसी/1

श्रीमती सरवीन चौधीरीः-----**जारी**-------

तो तथ्य सामने आ जाएंगे। जब कोर्ट में केस चल रहा था और खर्चे की बात सुनिश्चित हो रही थी तब इन सारी परिस्थितियों के बीच में वह महिला कहां चली गई? यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। इसलिए इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह महिला कहां है? उसकी पूरी तरह से इन्क्वायरी होनी चाहिए उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं उनको उसकी बहुत ज्यादा चिन्ता है। वे माननीय मुख्यम मंत्री जी के कार्यालय शिमला में नहीं आ सकते हैं। उनके परिवार की मानसिक स्थिति को देखते हुए उस महिला का ढूंढना अति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगी कि इसके बारे में हमें अवगत करवाया जाए। धन्यवाद।

31.03.2017/1210/जेके/डीसी/2

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधान सभा सदस्या, श्रीमती सरवीन चौधरी द्वारा जो यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है यह बहुत गम्भीर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों को बहुत अहमियत देती है और पूरी

कोशिश की जाती है कि उसका समाधान हो। अध्यक्ष महोदय, इस मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 7.12.2016 को श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्री लक्ष्मण दास निवासी मकरोटी डाकघर लदबा़डा तहसील शाहपुर जिला कांग़डा का एक शिकायत पत्र थाना नगरोटा बगवां में प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था कि इनकी बेटी शारदा देवी की शादी वर्ष 2001 में विनय कुमार सुपुत्र श्री मखौली राम निवासी ठानपुरी तहसील नगरोटा बगवां जिला कांग़डा के साथ हुई थी। श्रीमति शारदा देवी का एक ल़डका व एक ल़डकी है जो कि क्रमशः 12 व 14 साल के हैं। पति से अनबन होने के कारण वह साल 2014 से अपने मायके लदबा़डा में रह रही है। उसने घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत अपने पति के विरुद्ध कोर्ट में केस दायर किया है, जो अदालत के विचाराधीन है। शारदा देवी अकसर अपने बच्चों से मिलने के लिये ठानपुरी जाया करती थी और वह मुहालक़ड व खोली में अपनी ननदों के घर 5/7 दिन रहने के उपरान्त वापस लदवा़डा आ जाती थी। दिनांक 27.07.2016 को वह घर से यह कहकर गई कि वह अपने बच्चों से मिलने के लिये नगरोटा बगवां जा रही है, जहां कि बाल-मेला चला हुआ है। दिनांक 02.08.2016 को शारदा देवी को घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता राशि मु0 5000 रूपये लेने के लिये अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई। शारदा देवी के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि वह दिनांक 27.07.2016 को मुहालक़ड में थी, लेकिन इसके उपरान्त उसके बारे में कोई भी पता न चलने पर दिनांक 11.08.2016 को थाना नगरोटा बगवां में शारदा देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

31.03.2017/1215/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

लेकिन इसके उपरान्त उसके बारे में कोई भी पता न चलने पर दिनांक 11.08.2016 को थाना नगरोटा बगवां में शारदा देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि शारदा देवी के पति विनय कुमार ने दूसरी शादी कर ली है, इससे सन्देह होता है कि विनय कुमार ने ही शारदा देवी का अपहरण करके किसी अज्ञात जगह पर उसे छुपा न रखा हो। श्री मनोहर लाल के उपरोक्त शिकायत पत्र के आधार पर दिनांक 07.12.2016 को थाना नगरोटा बगवां में अभियोग संख्या 192/16 धारा 365 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है।

श्रीमती शारदा देवी को ढूंढ निकालने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा हैः-

- अन्वेषण के दौरान महिला (शारदा) के पति विनय कुमार, दोनों बच्चों, ननद चम्पा देवी व अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका।
- लगभग 40 लोगों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर भी पूछताछ की गई और उक्त महिला के फोटो भी दिखाये गये।
- महिला के पति व पिता के मोबाईल फोन की कॉल डिटेल हासिल की गई, जिसका गहनता से विश्लेषण किया गया, किन्तु कोई भी महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला।
- इस सम्बन्ध में गुमशुदगी के इश्तहार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीग़ढ व उतर प्रदेश पुलिस को भी भेजे गये हैं, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

<u>अभियोग अभी तक अन्वेषणाधीन है, शारदा देवी की तलाश हेतु हरसंभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।</u>

<u>अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मैटर है और मैं इसकी जांच जो हमारा इंटैलीजैंस डिपार्टमैंट है उसको स्थानांतरित करना चाहता हूं ताकि</u>

31.03.2017/1215/SS-DC/2

और गहराई के साथ इसकी जांच की जाए। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि इसके पति ने ही इनको गायब किया हो और कुछ भी हो सकता है। इसमें गहन इंवैस्टीगेशन करनी बहुत आवश्यक है। तभी पता लगेगा कि सच्चाई क्या है और इस महिला को ढूंढने के लिए सरकार भरसक प्रयत्न करेगी। यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

31.03.2017/1215/SS-DC/3

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 28 मार्च, 2017 को दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "वाशिंग मशीन और साइकिल के भी सरकार ने वसूले पैसे" से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा

जारी श्रीमती के0एस

31.03.2017/1220/केएस/एएस/1

श्री बिक्रम सिंह जारी----

मनरेगा में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भिन्न-भिन्न स्कीमों के अंतर्गत जैसे जसवां-प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर 19.03.2017 को प्रागपुर में मशीनें और साइकल बांटे गए। प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर 69 वाशिंग मशीनें और 31 साइकल बांटे गए। इस बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में और भी कई विधान सभा क्षेत्रों के अंदर

जो मनरेगा के अन्दर काम करते हैं, उनको ये मशीनें या साइकल वगैरह दिए जाते हैं लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि जो भी सामान दिया जाता है, उसकी केवल एक छोटी सी 210 रुपये की रजिस्ट्रेशन होती है और उसके अलावा उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता लेकिन जसवां-प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो कार्यक्रम प्रागपुर में हुआ, वहां पर जो आपने उपाध्यक्ष लगाएं हैं, उनकी अध्यक्षता में वह कार्यक्रम हुआ और जो मशीनें और साइकल बांटें गए, मशीनों के दो हजार रुपये लिए गए और साइकलों के 1500 रुपये लिए गए। मुख्य मंत्री महोदय, मैंने पहले भी आपके ध्यान में यह विषय लाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर ट्रांसफर माफिया काम कर रहा है। मैंने आपके दफ्तर में जाकर हाथ जोड़ कर निवेदन किया था कि इस प्रकार का जो काम हो रहा है, इसको बन्द किया जाए। मैंने आपको पूरी बात बताई थी और आपने मुझे कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वहां नहीं हो रहा है। जो मैं अभी बता रहा हूं, इस सम्बन्ध में मेरे पास शिकायतें आई हैं। जिसमें कहा गया है कि मैं सुलोचना देवी, पत्नी अर्जुन कुमार, निवासी सकराला, डाकखाना नाहन नगरोटा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हूं, अतः प्रागपुर ब्लॉक में जो मनरेगा मज़दूरों को साइकल और वाशिंगा मशीन दी गई, उसमें मेरे से 3500 रुपये लिए गए। एक ही को साईकिल भी दे दी और उसी को मशीन भी दी और उससे 3500 रुपये लिए। आगे लिखा है कि मुझे पता चला है कि इसमें पैसा लेना उचित नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इसी प्रकार हमारे गांव में 15 परिवारों से भी इसी तरह से पैसे लिए गए हैं और इसकी छानबीन की जाए। इस तरह का मुझे केवल एक पत्र ही नहीं आया बल्कि दूसरा पत्र श्रीमती कृष्णा देवी का है, पत्नी स्वर्गीय श्री जागीर सिंह, गांव सकराला और इसके

31.03.2017/1220/केएस/एएस/2

अलावा राजकुमारी, पत्नी श्री जीवन प्रकाश, गांव सकराला और आशा देवी, पत्नी अनूप कुमार, गांव सकराला।

अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि एक तरफ तो यह विभाग, जैसे माननीय बम्बर ठाकुर जी बैठे-बैठे कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र के अन्दर फ्री बांटी गई, आपके वहां ईमानदार लोग रहते होंगे इसलिए फ्री बांटी गई, हमारे वहां ईमानदार लोग नहीं हैं इसलिए पैसे लिए गए। इसी बात को मैं उद्योग मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं कि यह जो इस प्रकार का काम हो रहा है, इसमें मेरा एक और निवेदन है कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोग, जो ज्यादा दिनों से लगे हैं, पंजीकृत हैं, यहां पर पिक एण्ड चूज़ के आधार पर सामान दिया जा रहा है। जो ज्यादा समय से लगे हैं, विभाग के साथ पंजीकृत हैं, विभाग जो सामान देता है वह लोगों को नहीं मिल रहा है। इसमें पिक एण्ड चूज़ हो रहा है। एक गांव के अंदर 40 दे देंगें दूसरे गांव के अंदर किसी को नहीं देंगें, चाहे उसने मनरेगा के अंदर ज्यादा दिन लगाए हैं। मैं चाहूंगा कि इन सारी चीजों के बारे में माननीय उद्योग मंत्री संज्ञान लें और जिन्होंने भी इस प्रकार का काम किया है उनकी विजिलैंस इन्क्वायरी हो और उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हो ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको उनका पैसा वापिस मिल सके। मैं, यही विषय माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। धन्यवाद।

31.03.2017/1220/केएस/एएस/3

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिक्रम सिंह जी ने नियम- 62 के तहत जो मसला उठाया है, कामगार कल्याण बोर्ड के बारे में, जैसा कि आपको मालूम है कि यह बोर्ड कामगारों के लिए, मज़दूरों के लिए और मनरेगा में जो महिलाएं हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। जो भी सामान दिया जाता है, चाहे वाशिंग मशीन है, साइकल है, इंडक्शन हीटर है, सोलर लैम्प है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

31.3.2017/1225/AV/AG/1

उद्योग मंत्री ---------- जारी

यह सारा सामाना लाभार्थी को सीधे तौर पर दिया जाता है और इसमें कोई बिचौलियानहीं है मगर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जो व्यक्ति कामगार है और कनस्ट्रक्शन के काम से जुड़ा हुआ है उसको बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है तथा उसकी फीस एक रुपये रखी गई है। एक रुपये फीस लगने के बाद कंडिशन्ज के मुताबिक जब वह विभाग के साथ रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद समय निर्धारित है कि इतने दिन के बाद उसको सामान मिलेगा। लेकिन सम्पर्क तो अभ्यार्थी को करना पड़ेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि एक पंचायत को मिला तो वहां का प्रधान ज्यादा ऐक्टिव होगा? (---व्यवधान---) नहीं, कापियां लेकर वहां जाना पड़ता है, उनकी बाकायदा कापियां बनी हुई हैं। उनको वह कापियां दिखानी पड़ती है कि हमने इतने दिन काम कर लिया और यह हमारी कापी है। इसके तहत जो-जो स्कीमें हैं हम अब उसके पात्र हैं। आपने जैसे कहा कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में इसके पैसे लिए गए हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं आई और यह सामान काफी स्थानों पर बंटा है। हमारे इस साल ही लगभग 12000 इंडक्शन हीटर, 1561 साईकलें, 9780 वाशिंग मशीनें, 430 सोलर लैम्प गये हैं। कहीं से इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है लेकिन आपने यहां पर एक पर्टिकुलर डेट का हवाला दिया है। आपने कहा है कि 20 मार्च को जो सामान बांटा गया है उसमें पैसे लिए गए हैं। 19 मार्च को जिन 70-80 लोगों को सामान बांटा गया है, हमारे विभाग के आफिसर उन सब घरों में जायेंगे। उनसे वैरिफाई करके आयेंगे कि उनको जो सामान मिला क्या वह उनको मुफ्त मिला है या उसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। <u>अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध ऐक्शन लिया जायेगा।</u>

31.3.2017/1225/AV/AG/2

<u>सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन</u>

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।

अध्यक्ष : तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा

31.3.2017/1225/AV/AG/3

के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।

प्रस्ताव स्वीकार

श्री वर्मा द्वारा जारी

31/03/2017/1230/टी0सी0वी0-ए0एस0/1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अब सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) पर विचार किया जाये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) पर विचार किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

31/03/2017/1230/टी0सी0वी0-ए0एस0/2

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) को पारित किया जाये।

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) को पारित किया जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) को पारित किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-3) पारित हुआ।

31/03/2017/1230/टी0सी0वी0-ए0एस0/3

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा- संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-4) पर विचार किया जाये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-4) पर विचार किया जाये।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा- संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-4) पर विचार किया जाये।

31/03/2017/1230/टी0सी0वी0-ए0एस0/4

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मैडिकल एसोसिएशन के नुमाईंदों के साथ काफी डिटेलड बातचीत करके ये एक्ट यहां पर लाया है और जो प्रोविज़न्ज किए हैं, उसमें हमारा कोई बहुत विरोध नहीं है।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी

31/03/2017/1235/एन0एस0/ए0एस0/1

श्री सुरेश भारद्वाज ----- जारी

लेकिन मैं एक बात इस माननीय सदन और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अस्पतालों में अगर किसी प्रकार की हिंसा की घटना होती है, तब वह घटना एक पक्षीय नहीं होती है। अस्पतालों में जो मरीज़ जाते हैं, वे दुःखी होते हैं। वहां पर जो पेशेन्ट होते हैं, उनमें से कई मरने की स्थिति में होते हैं और कई दर्द से कराह रहे होते हैं तथा अस्पतालों में कई बार अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं होता है। हम लोग (विधायक) भी अगर कई बार अस्पतालों में साधारण रूप में ही जाएं तो हमें भी इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा। अस्पताल में अगर गांव से कोई व्यक्ति आता है और उसकी ई0सी0जी0/टैस्ट करवाना है तथा वहां पर कोई उस मरीज़ को देख नहीं रहा है, इमरजैंसी में कोई जगह नहीं होती है और मरीज स्ट्रेचर पर लेटा होता है, तब ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, तो आप उसको एकदम से कॉग्निज़ेबल/ नॉन-बेलेबल ओफैंस बना दें कि उसके साथ थोड़ी-सी कहासुनी हो गई तो यह गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता वन साईडिड लेजिस्लेशन से सर्व नहीं हो सकती है। हालांकि, इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि कम्पीटैंट ऑफिसर इसकी कंपलैंट करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कम्पीटैंट ऑफिसर कौन होगा? अस्पतालों में जब एक युनियन का प्रैशर पड़ता है, तब क्या ये पावर्ज़ मेडिकल सुपरिन्टेंडैंट, सी0एम0ओ0 और प्रिसींपल को देंगे? जब प्रैशर पड़ेगा, तब कंपलैंट दाखिल होगी और व्यक्ति अंदर हो जाएगा। कई बार व्यक्ति गुस्से में आ करके या फिर दुःखी मन से कुछ बोल देता है और थोड़ी-बहुत कहासुनी हो जाती है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत stringent action लेना उपयुक्त नहीं है। इसमें कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है और कुछ रूल्ज़ बनाने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि आसानी से यह केस सैटल हो जाए। अगर रिकन्सीलिएशन हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर जाता है और बाद में उसको

वह रीलाइज़ हो जाता है तथा आप उसकी कंपलैंट कर दें और उस पर मुकद्दमा बना दें, उसको तीन साल की सजा हो जाए तो मेरे हिसाब से उस गरीब व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारे हॉस्पिटलज़ हैं और डाक्टरों के ऊपर जो खर्चा होता है, वह तो पब्लिक से लिया जाता है। वह तो टैक्स

31/03/2017/1235/एन0एस0/ए0एस0/2

पेयर का मनी है और डाक्टर्ज़ टैक्स पेयर के प्रति रिस्पोंसिबल हैं। माननीय मंत्री जी, हॉस्पिटल्ज़ पेशेंट के लिए होने चाहिए और मरीज़ वहां पर बेसिक व्यक्ति होना चाहिए और पेशेंट की देखभाल की जिम्मेवारी स्टेट/सरकार की है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, जो लिटिगैंट हैं और जिनके आधार पर कोर्ट चलती है, उनके लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं होती है। अगर हम अस्पतालों में जाएं तो मरीजों को कोई पूछता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार से लेजिस्लेशन बनते रहेंगे तो वह एक पर्टिकुलर सैक्शन के लिए बन जाएगा और वह जनता के हित में नहीं होगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार और माननीय मंत्री जी के ऊपर बहुत प्रैशर है क्योंकि स्ट्राइक्स बहुत हो रही हैं। ये स्ट्राइक्स हिमाचल प्रदेश में ही नहीं अपितु सारे देश में हो रही हैं। क्योंकि अभी तक शायद इसके लिए कोई लेजिस्लेशन आया ही नहीं है। महाराष्ट्र में कोर्ट की डायरैक्शन्ज़ के ऊपर स्ट्राइक्स बंद हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कानून को बनायेंगे, तब यह ज्यादा उपयुक्त होगा। आप इसको सलैक्ट कमेटी को भी भेज सकते हैं।

31/03/2017/1235/एन0एस0/ए0एस0/3

Health and Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, This Bill has been introduced in this Legislative Assembly on the demand of Medical Officers Association of Himachal Pradesh. As you all know that when the doctors went on strike at that time, during the strike of the doctors, an Hon'ble Member from the Opposition Benches went to the Press and said that their demand is a genuine and it should be met with. After great deal of negotiation, we assured the Medical Officers Association for it. After a series of discussions and

deliberations with the Secretary (Law), Principal Secretary (Health) we brought this legislation in this Hon'ble House. I am fully agreed with Shri Suresh Bhardwaj's contention that a patient who comes to the hospital for treatment, if he is not looked after properly by the doctor and if he loses his temper, only on that pretext the case should not be registered against him.

Continue by DC……..

31/03/2017/1240/RKS/DC/1

Health and Family Welfare Minister continues….

So in this Bill we have kept the a provision of safe guard. The Bill is already existed but in that Bill the offence was non-cognizable and non-bailable. It was the demand of the doctors that the offence should be made cognizable and non-bailable. So we have kept some precautions. I fully agree with you and your contention. There are number of instances where we have seen that the doctor who was attending the patient slapped by the attendant. We have brought this Legislation, keeping in view all these circumstances and previous instances where patient or his attendant indulged in violence against the doctor . I am thankful to Shri Suresh Bhardwaj Ji for giving these suggestions. We have taken precautions in this Bill. No court shall take cognizance of the offence, punishable under this Act, till a complaint in writing will be made by the Officer authorised by the Government of Himachal Pradesh by notification in this regard. In the Regional Hospitals the concerned Medical Superintendent will be authorized and so far as the Blocks, PHCs or CHCs are concerned, the particular Block Medical Officer or Chief Medical Officer would be competent to make a complaint to the Police and Police after proper verification will register a case. Police will collect the evidences and after

making proper inquiry of the matter the case will be registered . इसलिए हमने इसमें पूरी तरह से प्रीकॉशन रखी है। मैं सदन को आश्वसत करना चाहता हूं कि पेशेंट या उसके अटैंडेंट के साथ ऐसी कोई बात होगी तो हमने इसके लिए भी पूरी प्रीकॉशन की है । हमने डॉक्टर्ज़ की डिमांड को भी ध्यान में रखा है और पेशेंट/ अटैंडेंट के इंटरस्ट को भी इसमें सेफगार्ड किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

31/03/2017/1240/RKS/DC/2

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था(हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याक 4) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था(हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याक 4)" को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था(हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याक 4)" को पारित किया जाए

31/03/2017/1240/RKS/DC/3

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था(हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याक 4)" को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था(हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याक 4)" को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था(हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याक 4)" पारित हुआ

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

31.03.2017/1245/SLS-DC-1

अध्यक्ष : अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' पर विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

खंड-24 पर सरकार की ओर से संशोधन आया है। माननीय मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करें।

Social Justice & Empowerment Minister: Sir, I would like to present it.

पृष्ठ	खंड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
1.	2.	3.	4.
12	24	20-21	"कि धारा 14 से 21 का" शब्दों और अंकों का लोप किया जाए।

31.03.2017/1245/SLS-DC-2

अध्यक्ष : सरकार की ओर से जो संशोधन आया है, वह चर्चा हेतु प्रस्तुत है।

तो प्रश्न यह है कि खंड-24 पर सरकार की ओर से जो संशोधन आया है उसे स्वीकार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

संशोधन स्वीकार हुआ।

अब खंड-24 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

31.03.2017/1245/SLS-DC-3

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा

केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)' संशोधित रूप में पारित हुआ।

अगली मद ... श्री गर्ग जी

31/03/2017/1250/RG/AS/1

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष : अब नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख होंगे जो पढ़े हुए समझे जाएंगे। इनके उत्तर माननीय सदस्यों को मिल जाएंगे। नियम-324 के अन्तर्गत उठाए जाने वाले विषय निम्नलिखित हैं :-

श्री सुरेश भारद्वाज (शिमला) द्वारा उठया गया मामला

मैं सरकार का ध्यान टालैंड-खलीणी लिंक रोड के साथ अधूरे फुटपाथ की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र की स्थानीय जनता इस फुटपाथ को बनाने के लिए पिछले 10 सालों से लगातार आग्रह करती आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका कार्य अभी तक अधूरा है । इसका कुछ भाग लोक निर्माण विभाग द्वारा बना लिया गया है। परन्तु इसके

बीच में लगभग 100-150 मीटर फुटपाथ का कार्य आज भी बिल्कुल अधूरा प़डा है और स़डक के किनारे मिट्टी के ढेर लगे हुए है । जहां कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है । इस रास्ते से हर रोज स्कूल के बच्चे तथा स्थानीय लोग बस लेने के लिए पैदल टॉलैंड पहुंचते है । इस कारण बच्चों के अविभावकों को हमेशा अपने बच्चों की चिन्ता लगी रहती है। इस स़डक के किनारे पर अधूरा फुटपाथ होने के कारण लोगों को बसें छूती हुई गुजरती है और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरना पडता है। इसके कारण यहां से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस फुटपाथ के निर्माण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाये ।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय मामलें की वस्तुस्थिति इस प्रकार है :-

यह कार्य लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय जनता की सुविधा हेतू ही अपने मेंटीनेंस फंड और Deposit fund से बनाना शुरू किया था जिसमे से 180 मी0 फुटपाथ बन चुका है तथा 85 मी0 शेश है जोकि 12 से 15 वृक्षों और छोटे पेडों (saplings) मौजूद होने की वजह से नहीं बन पाया है । वहॉ पर मिटटी का कोई ढेर नही है । लेकिन बर्फ के दौरान वहॉ पर विभाग द्वारा रेत की ढेरी लोगो को फिसलन से बचाने के लिए लगाई गई थी जो की हटा दी गई है । **शेष फुटपाथ का कार्य विभाग एफ0आर0ए0 से अनुमति लेने के उपरान्त पूर्ण कर सकेगा ।**

-/2

31/03/2017/1250/RG/AS/2

नियम-324 के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार (पच्छाद) द्वारा उठाया गया मामलाः-

मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजग़ढ नगर पंचायतों के 10 कि0 मी0 की परिधि में स़डक की दुर्दशा के कारण लोगों को बहुत परेशानी उठानी प़ड रही है। टारिंग पूरी तरह उखड चुकी है सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है कि लोगों को धूल, गढढे व बारिश के भारी कीच़ड से निजात मिल सके। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स़डक की मरम्मत जनहित में शीघ्रातिशीघ्र की जाये।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः-

राजग़ढ नगर पंचायत के 10 कि0मी0 की परिधि में लोक निर्माण विभाग द्वारा दो मुख्य स़डकों की मरम्मत की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से हैः-

1) राजग़ढ से एक मार्ग यानि सोलन मीनस मार्ग दोनो ओर दस-दस कि0 मी0 की आर0 डी0 29/0 से 49/0 कि0मी0 तक आता है। राजग़ढ स्टेशन इस मार्ग की आर0 डी0 39/0 कि0मी0 पर प़डता है। इस मार्ग को जून 2016 में स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लगभग 67 हजार वर्ग मी0 क्षेत्र में पक्का किया गया था। जिस में से लगभग 2300 वर्ग मी0 क्षेत्र में विभिन्न-विभिन्न जगह पैच प़ड गए हैं जोकि कुल क्षेत्र का लगभग 3.4ः बनता है। इस मार्ग पर जो भी दुरूस्ती का कार्य किया जाएगा। वह ठेकेदार के एक साल के defect liability period के अन्तर्गत आता है। अतः इस मार्ग पर मरम्मत का जो भी खर्च आएगा, वह एक वर्ष तक ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जाएगा। **वर्तमान में स़डक का जो कुछ भाग उखड गया है उस पर ठेकेदार द्वारा patch work का कार्य किया जा रहा है।**

2) राजग़ढ से दूसरा मार्ग दोनो ओर बनेठी बागथन राजग़ढ चंदोल मार्ग है। जिसमें कि0मी0 72/0 से 92/0 तक आर0 डी0 आती है। राजग़ढ इस मार्ग के कि0मी0 82/0 पर प़डता है। कि0मी0 74/0 से 78/0 में वतर्मान में Renewal का कार्य प्रगति पर है। कि0मी0 82/0 से 87/0 में patch work का कार्य अवार्ड किया गया है **जिसे शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। कि0 मी0 72/0 से 74/0 एवं 78/0 से 82/0 में Renewal work के शीघ्र ही टेंडर लगा दिए जाएंगे।** कि0मी0 87/0 से 90/0 वर्श 2017 -18 में AMP के अन्तर्गत Renewal के लिए स्वीकृत हुए हैं जिसका

31/03/2017/1250/RG/AS/3

कार्य अवार्ड कर दिया है जिसे शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। कि0मी 90/0 से 92/0 में patch work का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि विभाग इन दोनों मुख्य स़डकों के रख-रखाव बारे गंभीर है। और इन्हें दुरूस्त करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। **इस प्रकार मैं यह आश्वस्त**

करवाना चाहता हूं कि राजग़ढ के कथित दो मुख्य मार्गों को विभाग जल्द ही मरम्मत कर दुरूस्त कर देगा ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी प़डे।

31/03/2017/1250/RG/AS/4

नियम-324 के अन्तर्गत श्री महेश्वर सिंह माननीय विधायक (कुल्लू) ध्दारा उठाया गया मामला ।

"सरकार का ध्यान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में E-Tendering C और D क्लास ठेकेदारों के लिए लागू कर दी है और इस श्रेणी के ठेकेदारों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण एक ही कार्य रूपये 7.5 लाख तक का मिल सकेगा। फलस्वरूप A और B श्रेणी के ठेकेदार बनने की संम्भावना समाप्त हो जाएगी। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि राहत देने की दृष्टि से EPF रजिस्ट्रेशन समाप्त की जाए और अधिशाषी एवं सहायक अभियन्ता की टैन्डर कौलिंग पावर क्रमशः तीन लाख व एक लाख कर दी जाए ताकि निर्माण कार्यों के निष्पादन तीव्रता से किया जा सके।"

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः

विभाग में 10.00 लाख रूपये से ऊपर के कार्यों के लिए ही e-tendering प्रक्रिया अनिवार्य है। 1.00 लाख से 10.00 लाख रूपये तक के टैण्डर की e-tendering अनिवार्य नहीं हैं अपितु online व offline tender दोनों प्रकार के स्वीकार्य है तथा 1.00 लाख तक के कार्य के टैंण्डर offline ही स्वीकार्य हैं। D श्रेणी के ठेकेदार रूपये 10.00 लाख तथा C श्रेणी के ठेकेदार रूपये 40.00 लाख तक के विभागीय कार्यों को ले सकते हैं। इन श्रेणियों के ठेकेदारों को एक से अधिक कार्य आबंटित करने की कोई मनाही नहीं है। D व C श्रेणी के ठेकेदार निर्धारित सीमा तक के कार्य करने के पश्चात उच्च श्रेणी में पदोन्नति के हकदार हैं जिसमें D श्रेणी के ठेकेदारों को 7.50 लाख रूपये के तीन कार्यों व कुल 50.00 लाख रूपये के कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त C श्रेणी में पदोन्नति दी जाती है तथा C श्रेणी के ठेकेदारों को 30.00 लाख के तीन कार्यों तथा कुल 2.00 करो़ड के कार्य उपरान्त B श्रेणी में पदोन्नति दी जाती है। जहां तक EPF Registration समाप्त करने का प्रश्न है, उस बारे स्पष्ट किया जाता है कि EPF Registration, ठेकेदारों की Registration व Renewal के लिए अनिवार्य नहीं है अपितु कार्य आवंटन उपरान्त EPF registration करवाने का

प्रावधान है। यह Labour Laws के अनुरूप व श्रमिकों के हित में है। वर्तमान में अधिशाषी अभियन्ता (Selected) 30.00 लाख व Non Selected 10.00 लाख रूपये तक के कार्य के Tender Call व स्वीकृत कर सकते हैं। अतः अधिशाषी अभियन्ता उपरोक्त निर्धारित सीमा से नीचे के सभी टैंण्डर स्वीकृत व कॉल कर सकते हैं जैसा कि माननीय विधायक द्वारा

31/03/2017/1250/RG/AS/5

चाहा गया है। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता 50,000 रूपये तक के कार्य Call /स्वीकृत कर सकता है। इस तरह वर्तमान में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा e-tendering के दिशा-निर्देश कार्य की प्रकृति के अनुरूप है और न ही इनसे विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

31/03/2017/1250/RG/AS/6

श्री गुलाब सिंह ठाकुर (जोगिन्दर नगर) माननीय विधायक द्वारा नियम-324 के अर्न्तगत उठाया गया प्रस्ताव

" मै सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र जोगिन्दर नगर सिविल अस्पताल की ओर दिलाना चाहता हूं। यह 100 बिस्तर का अस्पताल है। इस अस्पताल में चिकित्सकों के 19 स्वीकृत पदों में केवल 5 पद भरे है जबकि 14 पद रिक्त हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने के कारण स्थानीय महिलाओं व बच्चियों को भारी कठिनाई व असहजता महसूस हो रही है। जिस कारण महिलाएं चिकित्सा के अभाव में मण्डी, टाडा ,शिमला या PGI चण्डीग़ढ जाने को विवश हैं इस अस्पताल की OPD लगभग 300-350 प्रतिदिन की है। इस के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियो के कई पद रिक्त है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनहित से जुड़े इस विषय पर शीघ्रातिशीघ्र उचित कारवाई कर उपरोक्त पदों को शीघ्र भरा जाये "

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मान्यवर अध्यक्ष महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यह सत्य है कि वर्तमान मे 100 विस्तरों वाले सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर में चिकित्सकों के 19 पद सृजित हैं, 5 पद भरे हुए हैं तथा 14 पद रिक्त प़डे हैं। इन 5 चिकित्सकों में निम्न विशेषताओं के चिकित्सक भी कार्यरत हैः-

1 मैडिसन = 1

2 नेत्र रोग = 1

3 षिषु रोग = 1

चिकित्सा अधिकारियों के कुछ पद स्नातकोत्तर परीक्षा व सिनियर रैजिडेंन्सी में चयन होने के कारण रिक्त हुए हैं । विभाग में चिकित्सकों एवं विषेशज्ञों की कमी चल रही है, **इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग पहले ही प्रयासरत है तथा हर मंगलवार को स्वास्थ्य निदेषालय में चिकित्सकों/ विशेषज्ञों के पदों को भरने हेतु वाक -इन साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। इस प्रकार चिकित्सकों की उपलब्धता पर सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर में चिकित्सकों/ विषेशज्ञों के पदों को भरने का विचार किया जा सकता है।** यद्यपि सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर में चिकित्सकों, अन्य मैडिकल व पेरा -मैडिकल तथा मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 119 पदं स्वीकृत हैं जिनके विरूद्ध 68 पद भरे हुए है और 52 पद रिक्त हैं श्रेणीबार पदों का ब्यौरा इस प्रकार हैं :-

31/03/2017/1250/RG/AS/7

Category	Number of Posts			Remarks
	Sanctioned	Inposition	Vacant	
Medical Officer	19	5	14	
Dental Surgeon	1	1	-	
Matron	1	1	-	
Ward Sister	5	5	-	
Staff Nurse	14	15	-	One Surplus
ANM/ DSN	1	-	1	
Pharmacist	7	4	3	
Chief Pharmacist	1	1	-	
Sr.Lab. Tech.	3	3	-	
Chief Lab.Tech	1	-	1	

Lab Attendant	1	-	1	
Radiographer	2	2	-	
OTA	2	1	1	
Opth. Officer	2	1	1	
Detnal Mech.	1	1	-	
MHS	2	2	-	
FHS	2	2	-	
Clerk	3	3	-	
Driver	3	2	1	
Social Worker	1	-	1	
ECG Tech.	1	-	1	
Dai	4	3	1	
Class-IV	33	15	18	
Cook	2	-	2	
31/03/2017/1250/RG/AS/8				
Barber	1	-	1	
Dhobi	1	1	-	
Sweeper	5	-	5	
Total	119	67+1 Surplus	52	

रिक्त पदों का भरा जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। दिनांक 29 मार्च, 2017 को सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर में मुख्य प्रयोगशाला तकनीशियन का पद पदोन्नती द्वारा भर दिया गया है। इसके अतिरिक्त फॉरमासिस्ट, ऑपथैलमिक ऑफिसर , ओ0टी0ए0 के रिक्त पदों को भरने हेतु मांग पत्र भूतपूर्व सैनिक सैल, युवा एवं खेल विभाग व विषेश रोजगार सैल (fnO;kax) के पास लम्बित है। **इन विभागों से चयन सूची प्राप्त होने के उपरान्त सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर के रिक्त पदों को भरने पर विचार किया जा**

सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग नें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को चिकित्सकों के पदों को भरने की requisition

भेजी है वहां से चयनित डाक्टरों के नामों की अनुशंसा आने पर सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर में डाक्टरों तथा विशेषज्ञ डाक्टरों के रिक्त पदों को भरा जा सकता हैं।

31/03/2017/1250/RG/AS/9

श्री सुरेश कश्यप माननीय विधायक द्वारा नियम-324 के अर्न्तगत उठाया गया प्रस्ताव

" सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत PHC ठाकुरद्वारा जो कि घिन्नीघाट की एक मात्र . PHC] है तथा छः पचायतों को Feed .करती है वहां पर लम्बे समय से डाक्टर नही है। लोगो को नाहन या शिमला जाना प़डता है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि डाक्टर के खाली पद को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरा जाये। सरकार खाली पद को कब तक भर देगी ताकि लोगो को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके "

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मान्यवर अध्यक्ष महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वर्तमान में ठाकुरद्वारा में कोई PHC नही है। घिन्नी (घिन्नीघाट) में PHC स्थापित है जहां पर विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2017 के क्रम सख्यां 59 के अनुसार डाक्टर सुष्मिता ठाकुर की नियुक्ति कर दी गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी सिरमौर के कार्यालय से पता करने पर यह सुनिश्चित हुआ है कि डाक्टर सुष्मिता ठाकुर ने दिनांक 20.03.2017 को वहां कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदों को भरा जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है तथापि सरकार पदों की उपलब्धता के आधार पर डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयासरत है ताकि लोगो को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई जा सके।

31/03/2017/1250/RG/AS/10

नियम 324 के अर्न्तगत माननीय विधान सभा सदस्य श्री गोविन्द सिंह ठाकुर (मनाली) द्वारा उठाया गया मामला

जिला कुल्लू के अर्न्तगत गांव डोमी, ग्राम पंचायत मण्डलग़ढ विकास खण्ड नगर में काली ओ़डी मन्दिर से गांव जौला तक सम्पर्क स़डक की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत तथा पक्का करवाने बारे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के सन्दर्भ में खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगर, के माध्यम से पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, से दिनांक 30 मार्च, 2017 को रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत मण्डलग़ढ, में काली ओ़डी मन्दिर से जौला, गांव तक लगभग एक किलोमीटर स़डक का निर्माण हुआ है। इस स़डक का प्रयोग स्थानीय पंचायत के लोग कर रहे हैं तथा उक्त स़डक पर वर्तमान में गा़डिया भी चल रही है। यह बात सत्य है कि गत दिनों वर्षा तथा हिमपात के कारण स़डक कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है; जिससे लोगों को कुछ हद तक असुविधा का सामना करना प़ड रहा है। **ग्राम पंचायत इस स़डक की मरम्म्त करने के लिए प्रयासरत है।** परन्तु पंचायत के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह अपने स्तर पर उक्त स़डक की मरम्मत तथा इसे पक्का कर सके। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-20 दिनांक 31.1.2017 के अर्न्तगत उक्त स़डक को पक्का करने बारे धनराशि स्वीकृत करने हेतु स्थानीय विधायक महोदय, से आग्रह किया गया है। जैसे ही ग्राम पंचायत को किसी भी मद से उक्त स़डक की मरम्मत तथा पक्का करने हेतु धनराशि प्राप्त होगी तो स़डक की मरम्मत कर दी जाएगी।

31/03/2017/1250/RG/AS/11

नियम-324 के अन्तर्गत जो श्री गोविन्द सिंह ठाकुर (मनाली) द्वारा उठाया गया है, से सम्बन्धित सूचना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान गांव कुमाहरटी ग्राम पंचायत हलाण-। में आयुर्वेदिक विभाग की भूमि की ओर दिलाना चाहता हँ कि वर्तमान में विभाग इसका क्या उपयोग कर रहा है। इस भूमि का आयुर्वेदिक विभाग किसी कार्य हेतू उपयोग नहीं कर रहा है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस भूमि को ग्राम पंचायत के नाम हस्तांतरित किया जाए । ताकि इसका उचित उपयोग किया जा सके ।

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय,माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है:-

यह भूमि 23 बिस्वा है जो कि स्वर्गीय श्री मान चन्द निवासी गाँव कुमाहरटी डाकघर रामन तहसील मनाली जिला कुल्लू द्वारा विभाग को दान में दी गई थी। कुमाहरटी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बारे विभागीय प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 419/92 में दिनांक 25.11.1992 (प्रति संलग्न) को दिए गए निर्देशानुसार आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र दूसरे गॉव बडेई रा गाँव में खोला गया था जिस कारण इस भूमि का उपयोग नहीं हो पाया । बडेई रा गाँव व ग्राम पंचायत हलाण-1 की दूरी 2 कि0मी0 है व सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूसरे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी 5 कि0 मी0 होनी चाहिए । **सरकार इस भूमि को विभाग के उपयोग करने बारे विचार कर रही है । यहां यह भी बताना उचित होगा कि दानकर्ता के परिवारजनों नें इस भूमि को लौटाने हेतू विभाग को आवेदन दे रखा है जोकि विचाराधीन है ।**

31/03/2017/1250/RG/AS/12

नियम-20 के अन्तर्गत प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि बजट सत्र का संचालन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया।---(व्यवधान)--मेरी बात तो सुन लीजिए। विपक्ष ने भी बहुत सहयोग किया, इसलिए इनका भी धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय, 1, 2, 3 एवं 4 अप्रैल को अवकाश है। एजेंडा भी बहुत कम बचा है।

इसलिए मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। ---(व्यवधान)-----

अध्यक्ष : अभी तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात यहां रखी है और अभी उसका फैसला लेना है।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए?

श्री रविन्द्र सिंह जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने बजट सत्र को स्थगित करने का जो प्रस्ताव रखा है। माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार बजट सत्र की अधिसूचना 7 अप्रैल, 2017 तक की गई है। आज एक नई बात कहकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव यहां रखा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल माननीय धूमल जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव का विरोध करता है। अभी काफी एजेंडा बचा हुआ है। नियम-130 एवं 117 के तहत जो चर्चाएं यहां होती हैं, उन सबके नोटिस यहां लंबित पड़े हुए हैं। दूसरा, गैर-सरकारी सदस्य दिवस जो माननीय विधायकों का अपने क्षेत्र या प्रदेश की समस्याओं को यहां रखने का एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, उसके माध्यम से सरकार द्वारा या तो उसको स्वीकार किया जाता है

31/03/2017/1250/RG/AS/13

या अस्वीकार किया जाता है, यह सरकार की मर्जी पर होता है। इस प्रकार से ये तमाम कार्य अभी लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि किन कारणों से यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है? क्या यह कारण तो नहीं है कि जो माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में आय से अधिक संपत्ति मामले में माननीय मुख्य मंत्री ने एक याचिका दायर कर रखी थी, आज सुबह वह खारिज हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उसको खारिज़ कर दिया। क्या उसको मद्देनजर रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री महोदय की इस सदन को स्थगित करने की प्रवृत्ति गलत है। हम यहां इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं।----(व्यवधान)---

अध्यक्ष : एक मिनट आप बैठ जाइए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैज्योरिटी यह चाहती है कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए।-----(व्यवधान)-----

अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन को चलाना या नहीं चलाना यह सदन का ही अधिकार है और आप लोग यहां सदन में बजट सत्र के लिए बैठे हैं। इसको समाप्त करना या चलाना या इसका समय बढ़ाने का आपका अधिकार है। इसमें किसी भी कोर्ट के निर्णय का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है।

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2017/1255/MS/AS/1
अध्यक्ष जारी------

मैं यह समझता हूं कि किसी भी कोर्ट का डिसीजन हम पर लागू नहीं होता है इसलिए कोर्ट के डिसीजन के कारण हम सत्र को समाप्त नहीं करेंगे। हम तो अपनी कन्वीनियंस के लिए और जो सरकार के लिए कन्वीनियंस है, उसके लिए कर रहे हैं। ऐसा एक बार पहले भी हुआ है कि जब हमारा ऐजेंडा खत्म हो गया था तो माननीय सदस्यों को लगा कि चार-पांच छुट्टियों के बाद एक दिन के लिए और आना पड़ेगा इसलिए सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसमें मेरे ख्याल में कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, सदन मेजोरिटी से चलता है इसलिए आप वोटिंग करवाइए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

इससे पहले की मैं सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सदन में उपस्थित सभी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अब इस मान्य सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव

शिमला-171004
दिनांकः 31 मार्च, 2017